UPBJ010123442025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–765/2025
मौ0 ताहिर आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि

14–07–2026

पत्रावली पेश हुई।

पुकार की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। पूर्व तिथि पर अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र ख–5 धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बल दिया गया था। विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त है। विपक्षी सं0 2 व 3 की ओर से दि0 20–02–2026 को वकालतनामा भी पत्रावली पर दाखिल किया गया था परन्तु आपत्ति के स्तर पर न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई लिखित आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी थी। अतः अपीलार्थीगण की ओर से उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर सुना गया था।

निस्तारण प्रार्थनापत्र ख–5 अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट–

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण मौ0 ताहिर आदि की ओर से प्रार्थनापत्र ख–5 अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण उपरोक्त अपील में अपीलार्थी है। प्रार्थी/अपीलार्थीगण नियत तिथि 11–11–2025 को हाजिर अदालत आये थे लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण से जमानत धनराशि जब्त करने का आदेश पारित किया गया था, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा समय चाहा गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक सप्ताह का समय प्रदान कर दि0 18–11–2025 अग्रिम कार्यवाही नियत कर दी गयी थी। लेकिन उसके उपरान्त प्रार्थी/पैरोकार बीमार हो गया। न्यायालय हाजिर नहीं आ सका था। दि0 11–12–2025 को अपने अधिवक्ता के पास आया और आदेश दि0 10–01–2025 व आदेश दि0 11–11–2025 की नकल का सवाल डलवाया जिसकी नकल दि0 18–12–2025 को प्राप्त हुयी। प्रार्थी/अपीलार्थीगण ने जानबूझकर प्रस्तुत अपील दायर करने में कोई देरी नहीं की है जो देरी हुई है वह बीमारी के कारण हुयी है जिसका माफ किया जाना नितान्त आवश्यक है। तदनुसार प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण मौ0 ताहिर आदि द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को प्रस्तुत फौजदारी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद माना जाकर, प्रार्थीगण को धारा–5 का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विपक्षी सं01 राज्य सरकार की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण मौ0 ताहिर आदि की ओर से प्रार्थनापत्र फौजदारी अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 11–11–2025 के विरूद्ध यह फौजदारी अपील विलम्ब से दि0 23–12–2025 को योजित की गयी है। विलम्ब का कारण बीमारी के कारण होना बताया गया है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देकर यथा सम्भव गुण–दोष के आधार पर ही किया जाना चाहिये, मात्र तकनीकी आधार पर पक्षकारों को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। जैसा कि **स्टेट आफ नागालैण्ड बनाम लिपोक ए0 ओ0 2005 (42) ए0एल0आर0 302 (एस0सी0) में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह अभिमत् व्यक्त किया गया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा करने के लिये न्यायालय को उदार रवैया अपनाना चाहिये। प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण मौ0 ताहिर आदि की ओर से अपने प्रार्थनापत्र ख–5 के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण मौ0 ताहिर आदि द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र ख–5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है और अपील दाखिल करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के कार्यालय भेजी जाये। पक्षकार दि0 30–07–2026 को माननीय जिला जज, के न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

(सीमा वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
बिजनौर।
JO CODE – UP 1662

Digitally signed by SEEMA VERMA
Date: 2026.07.14 17:00:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court